

सं० सं०-टी-3/भवन-09/2011-.....857/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:-

पूर्व से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैंटीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि **₹ 1510.00 लाख (पन्द्रह करोड़ दस लाख)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पूर्व से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैंटीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि **₹ 1510.00 लाख (पन्द्रह करोड़ दस लाख)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-808 (भ०), दिनांक-25/01/2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है-

| क्र०सं० | संस्थान का नाम एवं पता | कार्य का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) स्थायी पता:-अंचल- हाजीपुर, ग्राम-हरवंशपुर, थाना नं० -182, खाता नं०-142, खेसरा नं०-157, रकबा-3.00 एकड़. | 1. Institutional Building & workshop | 10,44,86,799.00 |
| | | 2. Staff Hostel | 2,00,16,070.00 |
| | | 3. Canteen Block | 16,50,588.00 |
| | | 4. Principal Residence | 26,19,164.00 |
| | | 5. Vice-Principal Residence | 18,28,867.00 |
| | | SUM- | 13,06,01,488.00 |
| | | 6. Campus Boundary Wall & Development @ 15% of Sum | 1,95,90,223.00 |
| Total- | | | 15,01,91,712.00 |
| Contingency- | | @1.0% upto Rs.100Lac | 1,00,000.00 |
| | | @0.5@above Rs.100Lac | 7,00,959.00 |
| Grand Total- | | | 15,09,92,671.00 |
| OR Say Rs.- | | | 1510.00 Lac |


2- इस योजनान्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, माँग संख्या-3, उप शीर्ष-0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-P4059600510112, राज्य योजना स्कीम कोड BUI-5579 के विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य से 1000.00 लाख (दस करोड़), मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-P4059607890106 के विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य से 500.00 लाख (पाँच करोड़) तथा शेष राशि 10.00 लाख (दस लाख) मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0103 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-P4059607960103 के विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

[Signature]

क०प०उ०


- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, हाजीपुर (वैशाली) से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- 7- संचिका संख्या-टी-3/भवन-09/2011 के पृष्ठ - 62 / टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन


संयुक्त सचिव, 30/03/2017
श्रम संसाधन विभाग


ज्ञापांक- टी-3/भवन-09/2011 - 857 / प ट ना, दिनांक- 30 / 03 / 2017

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव, 30/03/2017
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-09/2011- 857 / प ट ना, दिनांक- 30 / 03 / 2017

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)/जिला कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, हाजीपुर (वैशाली)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव, 30/03/2017
श्रम संसाधन विभाग